



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167194

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7799

सन् 2026

मौंटी और 2 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार, आशीष गोयल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष गोयल और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 731 सन् 2022 के अन्तर्गत धारा 366, 120बी और 506 भारतीय दंड संहिता, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर में आवेदकगण की ओर से दायर की गई है। इसमें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदकगण को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि हालांकि आवेदकगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में था, लेकिन विवेचना के दौरान इस प्रकरण में उनका नाम शामिल होना गलत पाया गया। उन्हें बरी कर दिया गया और सह-अभियुक्त सौरभ के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। अब अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-I, बिजनौर ने दिनांक 13.03.2026 के आदेश के तहत दं.प्र.सं. की धारा 319 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदकगण को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के साथ धारा 120बी और 506 के तहत अपराधों के लिए विचारण का सामना करने हेतु तलब किया गया है। आवेदकगण को पीड़िता पर किसी प्रकार के यौन हमले से संबंधित किसी अपराध के लिए तलब नहीं किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यौन उत्पीड़न का आरोप सह-अभियुक्त सौरभ पर लगाए गए हैं। यहां तक कि दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दिए गए बयान में भी बलात्कार के आरोप सह-अभियुक्त सौरभ के विरुद्ध लगाए गए हैं।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय के सामने दर्ज बयान में, आवेदकगण की विशिष्ट भूमिका बताई गई है। आवेदकगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 120बी और 506 के तहत अपराधों के लिए सही ढंग से तलब किया गया है। पीड़ित का बयान संबंधित न्यायालय के सामने पीडब्लू-1 के तौर पर दर्ज किया गया है। आवेदकगण के खिलाफ अपराध स्पष्ट रूप से बनता है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. बताया गया है कि आवेदक संख्या 2 और 3 का एक और प्रकरण में आपराधिक इतिहास है, हालाँकि, उन्हें पहले किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है। विवेचना के दौरान आवेदकगण को दोषमुक्त कर दिया गया था। यहाँ तक कि विचारण न्यायालय के सामने दर्ज बयान में भी, पीड़ित ने आवेदकगण पर यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया है। आवेदकगण द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने का कोई आरोप नहीं है।

7. उपर्युक्त वर्णित संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

8. आवेदकगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक - **मॉटी, मोहित और विवेक** को आज से तीन सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किए जाएंगे:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष मौजूद रहेंगे, जब तक कि विचारण न्यायालय उन्हें छूट न दे।

ii. आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

iv. आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे या उसे डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

कुशल